2023/158

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री विकास कुमार
निवासी 34, हीरागर वास
तरतोली तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 52 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.09.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.06.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सिरोही जिले के पश्चिमी बनास नदी का क्षेत्रफल कितना है। क्या इसका सीमाकंन किया जा चुका है। पश्चिमी बनास नदी के बहाव क्षेत्र के अन्दर कितने निजी और सरकारी ट्यूबवेल व कुंए है, उसकी संख्या बताएं एवं उनसे किन–किन क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति होती है, उससे सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.06.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सिरोही जिले के पश्चिमी बनास नदी का क्षेत्रफल कितना है। क्या इसका सीमाकंन किया जा चुका है। पश्चिमी बनास नदी के बहाव क्षेत्र के अन्दर कितने निजी और सरकारी ट्यूबवेल व कुंए है, उसकी संख्या बताएं एवं उनसे किन–किन क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति होती है, उससे सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना अधिशाषी अभियंता जलदाय विभाग सिरोही से सम्बन्धित होने से रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / रेकर्ड / लो.सू.अ. / 2023 / 1600 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का मूल आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर दिया गया था, जिसकी सूचना अपीलार्थी को भी दी गई थी। चूंकि अधिशाषी अभियंता जलदाय विभाग सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner